

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 66 /दो-11-01/2009

अनूपपुर दिनांक 08.04.2023

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थानांतरण आगामी आदेश तक उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से पदस्थ किया जाता है:-

क्र0	कर्मचारी का नाम	कहाँ से	कहाँ पर	रिमाक
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार मिश्रा वाहन चालक कंटीजेन्सी	वाहन चालक (कंटीजेन्सी) ग्राम न्यायालय अनूपपुर	वाहन चालक (कंटीजेन्सी) ग्राम न्यायालय कोतमा	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर
2	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह वाहन चालक	वाहन चालक ग्राम न्यायालय कोतमा	वाहन चालक ग्राम न्यायालय अनूपपुर	श्री सुनील मिश्रा के स्थान पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(एस.एस.परमार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अनूपपुर(म0प्र0)

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक- 67 /दो-11-07/2013

अनूपपुर दिनांक 10.04.2023

श्री सतीश पाण्डेय सहायक ग्रेड-2/प्रस्तुतकार अनूपपुर का दिनांक 23.03.2023 से दिनांक 01.04.2023 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश तथा पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 22.03.2023 एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 02.04.2023 सहित मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 23-24.03.2023 एवं दिनांक 25.03.2023 तीन दिवस का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।

1. अवकाश अवधि में आवेदक का पद रिक्त रहा।
2. अवकाश अवधि मूलभूत नियम-26 (बी)(दो) के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है कि, यदि आवेदक अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर यथावत् कार्यरत रहते।
3. अवकाश अवधि में उन्हें वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे जैसे अवकाश अवधि में जाने के तत्काल पूर्व मिलता।
4. उक्त अवकाश स्वीकृति उपरांत आवेदक के अर्जित अवकाश खाते में 287 दिवस का स्वत्व शेष रहेगा।

(एस.एस.परमार)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अनूपपुर(म0प्र0)

NOTE